

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018 / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 18-5-18
फैसल दि० 18-5-18

श्री गायवसिंह / किशोरसिंह
.....
(वादी) लीमडी

अनवान
बनाम

श्री हारी तहसीलदार
सागवाडा
.....
(प्रतिवादी)

वादी श्री विश्वसिंह / किशोरसिंह ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा लीमडी के खाता नम्बर 156 जमाबन्दी सं० 2078-78
में अंकित स्वयं/पिता का नाम गायवसिंह / किशोरसिंह
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
किशोरसिंह है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम गायवसिंह
किशोरसिंह दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम वीरभद्रसिंह / विश्वसिंह
..... होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/सर्वे
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी को
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को ज्ञात
जाता है कि मोजा लीमडी की जमाबन्दी संवत् 2078-78
खाता संख्या 156 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित नाम
गायवसिंह में संशोधन कर सही नाम
वीरभद्रसिंह दर्ज रेकार्ड किया जावे।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा